संख्या-19/2016/09/22-4-16-48(3)/10

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-22 फरवरी, 2016

विषय- केन्द्रीय कारागार वाराणसी व जिला कारागार अलीगढ़ में 30 बंदी क्षमता की डबल स्टोरी बैरकों के निर्माण तथा केन्द्रीय कारागार, वाराणसी व जिला कारागार गाजीपुर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-42736/नम-2, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-106/22-4-2011-48(3)10, दिनांक 07.02.2011, शासनादेश संख्या-100/ 2015/1611/22-4-2014-48(3)10, दिनांक 15.04.2015, शासनादेश संख्या-434/22-4-2011-48(3)10, दिनांक 07.02.2011, शासनादेश संख्या-132/2015/616/22-4-2015-48(3)10, दिनांक 30.06.2015, शासनादेश संख्या- 426/22-4-2011-48(15)11, दिनांक 28.02.2011, शासनादेश संख्या-101/ 2015/ 1608/22-4-2015-48(15)11, दिनांक 15.04.2015, शासनादेश संख्या-427/22-4-2011-48(16)11, दिनांक 28.02.2011 एवं शासनादेश संख्या-122/2015/ 191/22-4-2014-48(16)11, दिनांक 05.06.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार वाराणसी में 30 बंदी क्षमता की 15 नग डबल स्टोरी बैरकों, जिला कारागार अलीगढ़ में 30 बंदी क्षमता की 02 नग डबल स्टोरी बैरकों तथा केन्द्रीय कारागार वाराणसी व जिला कारागार गाजीपुर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के कालम-5 में अंकित अवशेष धनराशि, जिसका कुल योग रू0 12,56,03,000/-(रूपया बारह करोड. छप्पन लाख तीन हजार मात्र) है, की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	कारागार/जनपद न्यायालय का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	अवशेष/प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	केन्द्रीय कारागार वाराणसी में 30 बंदी क्षमता की 15 नग डबल स्टोरी बैरकों का निर्माण	441.20	66734	226.14
2	जिला कारागार अलीगढ़ में 30 बंदी क्षमता की 02 नग डबल स्टोरी बैरकों का निर्माण	61.02	76.43	15.41
3	केन्द्रीय कारागार वाराण्सी की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर का निर्माण हेतु (5 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए)	988.82	1751.02	724.09
4	जिला कारागार गाजीपुर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर का निर्माण	441.93	732.32	290.39
			योग-	1256.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 07.02.2011, 28.02.2011 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.04.2015, 30.06.2015, 15.04.2015 व 05.06.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित (प्रति संलग्न) धनराशि रू0 12,56,03,000/-(रूपया बारह करोड़ छप्पन लाख तीन हजार मात्र) में से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-19/2016/09(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, वाराणसी, अलीगढ़ एवं गाजीपुर।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in